

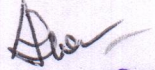
प्रपत्र -42

परियोजना का नाम:-

जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी० 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है० वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अधिशाली अधिकारी
ग्रामीण परियोजना एजेन्सी
प्रखण्ड देहरादून

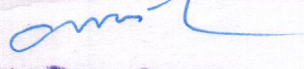
परियोजना का नाम— जनपद—देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा—रिखोली मुख्य मार्ग के कि०मी० 16 से नारायण सिंह के घर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि 1270 मीटर मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव.

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1	ईको-क्लास श्रेणी	Eco Class- V
2	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.3
3	एन०पी०वी० की दर प्रति है०	845000.00
4	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०में)	0.8890
5	कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि (रु.में)	751205.00


वन क्षेत्राधिकारी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी


प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी वन प्रभाग, मसुरी